परिपत्र

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक : प.13(2) वित्त/अंकेक्षण/2005–II

दिनांक: 26-05-2016

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर ।

विषय :– बकाया आंतरिक अंकेक्षण कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने बाबत।

महोदय,

शासन के ध्यान में आया है कि निरीक्षण विभाग एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थापित आन्तरिक जांचदलों को उनकी सुविधा के अनुसार मुख्यालय स्थित कार्यालयों या अन्य इच्छित स्थानों के कार्यालयों /विभागों का जांच कार्य आवंटित किया जाता है जिससे दूर–दराज स्थित अन्य कार्यालयों/ विभागों का आन्तरिक जांच संबंधी कार्य लम्बित हो जाता है एवं आन्तरिक जांच का बैकलॉग बढ़ता जाता है। समय पर आन्तरिक जांच कार्य नहीं होने से वित्तीय अनियमितताएं समय पर प्रकट नहीं होती है जिससे इनकी रोकथाम करने में भी विलम्ब तो होता ही है साथ ही अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्शाई गई वसूलियाँ करने में भी कठिनाइयां आती है क्योंकि कुछ कर्मचारी/अधिकारी इस दौरान सेवानिवृत्त हो जाते है अथवा अन्यत्र स्थानांतरित हो जाते हैं । इस प्रकार विलम्ब से आंतरिक जांच करने से आंतरिक जांच का महत्व ही समाप्त हो जाता है। इसीलिये आन्तरिक जांच कार्य का अद्यतन एवं नियमित तौर पर होना अत्यन्त ही आवश्यक है। अतः निरीक्षण विभाग एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थापित आन्तरिक जांचदलों द्वारा विभागाध्यक्ष कार्यालयों/ अधीनस्थ कार्यालयों का आन्तरिक जांच कार्य नियमित रूप से किये जाने एवं बैकलॉग पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

1. लम्बित आंतरिक जांच को प्राथमिकता से पूर्ण कराया जावे। जिन कार्यालयों/विभागों की आंतरिक जांच का बैक लॉग सबसे पुराना हो, वहां पहले जांच दल भिजवाया जाकर आंतरिक जांच करायी जावे। इसकी कड़ाई से पालना कराई जावे।

2. वर्ष 2014–15 तक के लम्बित आंतरिक जांच कार्य को पूर्ण कराने हेतु एक अभियान चलाया जाकर 31 मार्च 2017 तक कार्य पूर्ण कराया जावे।

3. आंतरिक जांच कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित आवधिकता (periodicity) / अन्तराल (interval) के अनुसार प्रारम्भ किया जाकर पूर्ण किया जावें। उदाहरणार्थ यदि किसी कार्यालय/ विभाग की आन्तरिक जांच उस विभाग की कार्यप्रणाली के अनुसार दो वर्ष के अन्तराल में किया जाना तय किया हुआ है तथा उसके लेखों की आंतरिक जांच वित्तीय वर्ष 2013–14 तक पूर्ण हो चुकी है तो अब वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लेखों के आंतरिक जांच का कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे। किसी भी दृष्टि से जांच कार्य लम्बित नहीं रखा जावे।

4. विभागाध्यक्षों द्वारा विभाग में कार्यरत आंतरिक जांच दलों में पदस्थापित कार्मिकों से केवल आंतरिक जांच का कार्य ही करवाया जावे। इनका त्रैमासिक जांच कार्यक्रम जारी किया जावे। आंतरिक जांच दलों को किसी भी स्थिति में मुख्यालय पर पदस्थापित नहीं रखा जावे।

5. सभी विभागाध्यक्षों एवं निरीक्षण विभाग द्वारा आन्तरिक जांच के बैकलॉग की मासिक समीक्षा की जावे तथा अपने प्रशासनिक विभाग के मार्फत आन्तरिक जांच के बैकलॉग की सूचना त्रैमासिक तौर पर वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भिजवायी जावें।

6. आंतरिक जांच कार्य के पर्यवेक्षण हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जावे जिसमें किस कार्यालय का किस किस वर्ष का आंतरिक जांच कार्य कब पूर्ण किया गया, अंकेक्षण रिपोर्ट कब जारी की गई आदि का ब्यौरा रखा जावे तथा इस रजिस्टर को निरन्तर अद्यतन किया जावे ताकि लम्बित अंकेक्षण की जानकारी प्राप्त हो सके।

आपसे अनुरोध है कि उक्त दिशा निर्देशो की आवश्यक रूप से अनुपालना सुनिश्चित कराने एवं विभागाध्यक्ष/निदेशक, निरीक्षण विभाग के स्तर पर लम्बित आन्तरिक जांच वाले कार्यालयों/विभागों की मासिक समीक्षा करवाकर आंतरिक जांच कार्य समय पर पूर्ण कराने की प्रभावी व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रेम सिंह मेहरा) 26/5/15
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा)/ (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा)/(लेखा व हक) राजस्थान जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष ।
4. समस्त संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग
5. निदेशक ,निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
6. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

(आर.के.मीणा)
संयुक्त शासन सचिव
वित (अंकेक्षण) विभाग